



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58597

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 1842 वर्ष 2026

इत्तेफाक आलम उर्फ इल्तेफाक आलम उर्फ दानिश

— आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

— विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : रवि शंकर तिवारी, सुनील कुमार

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री राम कुमार वर्मा को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 838 वर्ष 2025 के अंतर्गत धारा 318(4), 338, 336(2), 340(2) बी.एन.एस, थाना- सिविल लाइंस, जिला- मुरादाबाद में विचारण के लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक प्राथमिकी में नामित नहीं था, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि ए.के. एंटरप्राइजेज ने अपने प्रोपराइटर अंकित कुमार के माध्यम से सौरभ एंटरप्राइजेज और उसके प्रोपराइटर प्रवीण कुमार को लोहे का कबाड़ पहुँचाया था। जाँच के दौरान यह पाया गया कि अंकित कुमार ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ए.के. एंटरप्राइजेज का जीएसटी पंजीकरण प्राप्त किया था और उसी आधार पर वह लोहे का कबाड़ सौरभ एंटरप्राइजेज को भेज रहा था, जो स्वयं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीकृत थी। विवेचना के दौरान, ट्रक चालक सुहैल के बयान में आवेदक का नाम सामने आया, जिसने बताया था कि उसने आवेदक की दुकान से लोहे का कबाड़ लादने के बाद उसे ए.के. एंटरप्राइजेज तक पहुँचाया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक एक पंजीकृत फर्म का भागीदार है जिसके पास वैध जीएसटी पंजीकरण है और व्यापार के सामान्य क्रम में उसने ए.के. एंटरप्राइजेज को लोहे का कबाड़ बेचा था। बाद में, ए.के. एंटरप्राइजेज का पंजीकरण फर्जी दस्तावेजों पर आधारित पाया गया, जो कि आवेदक को फँसाने का आधार नहीं हो सकता और आवेदक ने जीएसटी चोरी का कोई अपराध नहीं किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यदि कोई अपराध किया गया है, तो वह ए.के. एंटरप्राइजेज या सौरभ एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीकरण प्राप्त करने के लिए किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। एक अन्य आपराधिक इतिहास यानी मुकदमा अपराध संख्या 839 वर्ष 2025, थाना- सिविल लाइंस, जिला- मुरादाबाद आवेदक के खिलाफ पंजीकृत नहीं है और यह तथ्य आवेदक द्वारा शपथ पत्र के पैराग्राफ संख्या 13 में बताया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि वर्तमान मामले में आरोप पत्र दाखिल की जा चुकी है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 23.11.2025 से जेल में बंद है। जमानत मिलने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।
5. मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में भीड़भाड़ और निचली अदालतों में लंबित आपराधिक मामलों के भारी बोझ के साथ-साथ **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2025 एससीसी आनलाइन एससी 3038)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
6. आवेदक- **इतेफ़ाक़ आलम उर्फ़ इल्तेफ़ाक़ आलम उर्फ़ दानिश**, जो उपरोक्त अपराध में शामिल है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - I. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को बताने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके।
 - II. आवेदक बिना कोई स्थगन मांगे ईमानदारी से विचारण/जांच में सहयोग करेगा।
 - III. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध करने में शामिल नहीं होगा।
 - IV. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंध पत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।
7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
8. बंध पत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, इस वचनबद्धता के साथ कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।
10. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से आवेदक को भेजी जाए, जो सर्वोच्च न्यायालय के **'पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ़ बेल, इन रे: सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमिनल)**

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नंबर 4 वर्ष 2021', दिनांक 31.01.2023 (रिपोर्टेड इन (2024) 10 एससीसी 685) के आदेश के अनुपालन में हो।

20 मार्च, 2026

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।